



नजी सदस्य वधियक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्यसभा ने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने के लिये एक **नजी सदस्य वधियक** (Private Member's Bill) पेश करने की अनुमति देने का अपना निर्णय सुरक्षित रखा।

- वधियक प्रस्तावना में दिये गए शब्दों "स्थिति और अवसर की समानता" (EQUALITY of status and of opportunity) को "स्थिति और पैदा होने, पोषण प्राप्त करने, शक्ति होने, नौकरी पाने के अवसर की समानता और सम्मान के साथ व्यवहार..." (EQUALITY of status and of opportunity to be born, to be fed, to be educated, to get a job and to be treated with dignity) से प्रतिस्थापित करने की मांग करता है।

प्रस्तावना की संशोधनीयता

- संविधान के एक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में तो संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना की **मूल संरचना** में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
 - केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973** में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है।
- संविधान की संरचना प्रस्तावना के मूल तत्त्वों पर आधारित है। अभी तक **42वें संशोधन अधिनियम, 1976** के माध्यम से प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है।
 - इसमें तीन नए शब्द जोड़े गए- **समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता**।

प्रमुख बटु

- परिचय:**
 - संसद के ऐसे सदस्य जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री (Member of Parliament-MP) नहीं हैं, को एक नजी सदस्य के रूप में जाना जाता है।
 - इसका प्रारूप तैयार करने की ज़िम्मेदारी संबंधित सदस्य की होती है। सदन में इसे पेश करने के लिये एक महीने के नोटिस की आवश्यकता होती है।
 - सरकारी वधियक/सार्वजनिक वधियकों को किसी भी दिन पेश किया जा सकता है और उन पर चर्चा की जा सकती है, नजी सदस्यों के वधियकों को केवल शुक्रवार को पेश किया जा सकता है और उन पर चर्चा की जा सकती है।
 - कई वधियकों के मामले में एक मतपत्र प्रणाली का उपयोग वधियकों को पेश करने के क्रम को तय करने के लिये किया जाता है।
 - नजी सदस्यों के वधियकों और प्रस्तावों पर संसदीय समिति ऐसे सभी वधियकों को देखती है और उनकी तात्कालिकता एवं महत्त्व के आधार पर उनका वर्गीकरण करती है।
 - सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति का सरकार में संसदीय विश्वास या उसके इस्तीफे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
 - चर्चा के समापन पर वधियक का संचालन करने वाला सदस्य या तो संबंधित मंत्री के अनुरोध पर इसे वापस ले सकता है या वह इसके पारित होने के साथ आगे बढ़ने का विकल्प चुन सकता है।
- पूर्ववर्ती नजी वधियक:**
 - पछिली बार दोनों सदन द्वारा एक नजी सदस्य वधियक 1970 में पारित किया गया था।
 - यह 'सर्वोच्च न्यायालय (आपराधिक अपीलिय कषेत्राधिकार का विस्तार) वधियक, 1968' था।
 - 14 नजी सदस्य वधियक- जिनमें से पाँच राज्यसभा में पेश किये गए, अब कानून बन गए हैं। कुछ अन्य नजी जो कानून बन गए हैं, उनमें शामिल हैं-
 - लोकसभा कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) वधियक, 1956।
 - संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते (संशोधन) वधियक, 1964, लोकसभा में पेश किया गया।

- भारतीय दंड संहिता (संशोधन) अधियक, 1967 राजसभा में पेश कया गया ।

■ महत्त्व:

- नजी सदस्य अधियक का उद्देश्य सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना है, जो कसांसदों (मंत्रियों के अतरिकित) के मुताबकि, एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है और जसि अधियाी हस्तक्षेप की आवश्यकता है ।
- इस प्रकार यह सार्वजनकि मामलों पर वपिक्षी दल के रुख को दर्शाता है ।

सरकारी अधियक बनाम नजी अधियक

सरकारी अधियक	नजी अधियक
इसे संसद में एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत कया जाता है ।	यह मंत्री के अतरिकित कसीी अन्य सांसद द्वारा प्रस्तुत कया जाता है ।
यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है ।	यह वपिक्ष की नीतियों को प्रदर्शित करता है ।
संसद में इसके पारति होने की संभावना अधिक होती है ।	संसद में इसके पारति होने के संभावना कम होती है ।
संसद द्वारा सरकारी अधियक अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है ।	इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।
सरकारी अधियक को संसद में पेश होने के लयि सात दनों का नोटसि होना चाहयि ।	इस अधियक को संसद में पेश करने के लयि एक महीने का नोटसि होना चाहयि
इसे संबंधति वभाग द्वारा अधिविभाग के परामर्श से तैयार कया जाता है ।	इसे संबंधति सदस्य द्वारा तैयार कया जाता है ।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/private-members-bill-1>

